

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, रेल सहित,
बिहार।

विषय :- गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना का पत्रांक-गृ0वि0/9827, दिनांक-19.11.2019 तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अग्रिम जमानत एवं नियमित जमानत से संबंधित आवेदनों पर सुनवाई के समय संबंधित थानाध्यक्षों को माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री एस0डी0 यादव, अपर महाधिवक्ता सं0-09, पटना उच्च न्यायालय द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक-20.11.2019 से नियमित जमानत एवं अग्रिम जमानत से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के समय संबंधित थानाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना है।

अतः उपरोक्त पत्र के आलोक में अपने क्षेत्राधिकार के सभी थानाध्यक्षों को थाना से संबंधित मामले में नियमित जमानत एवं अग्रिम जमानत की सुनवाई के समय वाद के अभिलेखों के साथ माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करायेगें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु0-यथोक्त ।

ha
20/11/19
पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन),
बिहार, पटना।


प्रतिलिपि:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/निगरानी विभाग, बिहार, पटना/ आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।
2. पुलिस महानिरीक्षक, पटना क्षेत्र, पटना/मुजफ्फरपुर क्षेत्र, मुजफ्फरपुर/मगध क्षेत्र गया/मिथिला क्षेत्र, दरभंगा/पूर्णियाँ क्षेत्र, पूर्णियाँ को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।
3. पुलिस उप-महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी-ऑन-सोन/बेगुसराय क्षेत्र, बेगुसराय /चम्पारण क्षेत्र, बेतिया/सारण क्षेत्र, छपरा/कोशी क्षेत्र, सहरसा/पूर्वी क्षेत्र, भागलपुर/मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।
4. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

ha
20/11/19
पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन),
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)
सरदार पटेल भवन,
ब्लॉक-A

2



प्रेषक,

ईश्वर चन्द्र सिन्हा, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक 19.11.19

LS
20-11-19

विषय :- उच्च न्यायालय, पटना में अग्रिम जमानत एवं नियमित जमानत से संबंधित आवेदनों पर सुनवाई के समय संबंधित थानाध्यक्षों को न्यायालय में उपस्थिति होने के संबंध में।

प्रसंग :- अपर महाधिवक्ता सं0-09, उच्च न्यायालय, पटना का पत्रांक-10536/पटना दिनांक-18.11.2019

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि अपर महाधिवक्ता सं0-09, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार अग्रिम जमानत एवं नियमित जमानत से संबंधित आवेदनों पर सुनवाई के समय संबंधित थानाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहना है। मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-20.11.2019 से नियमित जमानत एवं अग्रिम जमानत के आवेदनों पर सुनवाई की जाएगी।

प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यथाशीघ्र निदेशित करने की कृपा की जाए।
अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(ईश्वर चन्द्र सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव

240-34792/19

243

URGENT

19 NOV 2019
Letter No. 10536 / Patna

FAX

Dated. 18/11/2019

Office of the Advocate General, Bihar
High Court, Patna

From:

S. D. Yadav
Addl. Advocate General No. 09
Patna High Court, Patna

To,

1. The Home Secretary, Govt. of Bihar, Patna.
2. The DGP-cum-Inspector General of Police, Govt. of Bihar, Patna.

Sub: Regarding hearing of the bail application Anticipatory bail and regular bail by the Hon'ble Chief Justice

Sir,

In the aforesaid regard it is being informed to you that the oral direction has been given by the Hon'ble Chief Justice that at the time of hearing the bail application ~~that~~ the Officer in charge of the concerned Police Station relating to the case shall remain physically present before this Hon'ble court at the time of hearing of the bail application, arising out of case relating to the concerned police station.

Hence, you are hereby informed that ^{steps} be taken in the aforesaid regard as orally ordered as indicated by the Hon'ble Chief Justice. It is also to be noted here that again the hearing of anticipatory bail and regular bail application shall be taken by the Hon'ble Chief Justice on 20.11.2019.

S. D. Yadav

Addl. Advocate General No. 09

DIG (HR)
19/11/19

2-c
19/11/19

19/11/19
19-11-19

340133/19
DGP

4017(HR)